भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2456

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2024

दिव्यांग कोटा

2456.श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केवल 40 प्रतिशत दिव्यांगता होने पर ही कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग कोटे की सुविधाओं का लाभ पाने के लिए पात्र होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग आंख के अलावा खराब होने पर उसे 40 प्रतिशत दिव्यांगता के साथ दिव्यांग माना जाता है;

(घ) क्या किसी व्यक्ति की एक आंख खराब होने पर उसे 30 प्रतिशत दिव्यांगता के साथ दिव्यांग माना जाता है, जिससे वह व्यक्ति दिव्यांग कोटे की सुविधाओं का लाभ पाने के लिए पात्र हो जाता है;

(ङ) यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों और क्या यह अमानवीय नहीं है कि आंख खराब होने पर व्यक्ति को एक ओर मानसिक आघात पहुंचता है और दूसरी ओर वह व्यक्ति दिव्यांग कोटे के तहत लाभ पाने के लिए पात्र भी नहीं होता; और

(च) क्या सरकार इस विसंगति की समीक्षा करेगी, इसे दूर करेगी और नीति में आवश्यक परिवर्तन करेगी?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): हाँ श्रीमान।

(ख): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 34 में बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी रोजगार में 4% आरक्षण का प्रावधान है।

(ग): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(द) के तहत, "बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति" से न्यूनतम चालीस प्रतिशत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति से अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त, का.आ. 1338 (अ) के जरिए दिनांक 14.03.2024 के राजपत्र में अधिसूचित दिनांक 12.03.2024 के मूल्यांकन दिशानिर्देश के तहत दर्शाए गए अनुसार, चिकित्सा अधिकारी, ऐसे मूल्यांकन के आधार पर किसी व्यक्ति की दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम है।

(घ)-(च) दिनांक 14.03.2024 को राजपत्र में अधिसूचित दिनांक 12.03.2024 के मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार, बेहतर आंख की उत्तम रूप से सही की गई दृष्टि तीक्ष्णता - 6/6 से 6/18 और खराब आंख की उत्तम रूप से सही की गई दृष्टि तीक्ष्णता - 3/60 से भी कम, प्रकाश की कोई अनुभूति नहीं होने पर, व्यक्ति की प्रतिशत दिव्यांगता 30% होती है। ऐसे दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत तब तक सभी अधिकारों और लाभों के लिए पात्र होंगे, जब तक कि उक्त अधिनियम के तहत विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो।

*****